न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 225 RTA 2023-039 (GCMS 2023-73)

1. भोमाराम पुत्र दोलाराम
2. सवाईराम पुत्र दौलाराम के कायममुकामान-
   2.1. पपाराम पुत्र सवाईराम
   2.2. रूपाराम पुत्र सवाईराम
   2.3. मेहराराम पुत्र सवाईराम
   2.4. मनीष पुत्र सवाईराम
   2.5. प्रकाश पुत्र सवाईराम (नाबालिग जरिये माता गीतादेवी)
   2.6. गीतादेवी पत्नी सवाईराम
3. अमाराम पुत्र दौलाराम पुरखाराम
4. हराराम पुत्र पुरखाराम के कायममुकामान-
   4.1. भीखाराम पुत्र हराराम
   4.2. बाबूराम पुत्र हराराम
   4.3. सुमेराराम पुत्र हराराम (नाबालिग जरिये माता रम्भादेवी)
   4.4. रम्भादेवी पत्नी हराराम
5. हरखाराम पुत्र पुरखा के कायममुकामान-
   5.1. रामूराम पुत्र हरखाराम
   5.2. बिरमाराम पुत्र हरखाराम
   5.3. नखताराम पुत्र हरखाराम
   5.4. कमला पत्नी हरखाराम

सभी जाति मेघवाल, निवासीगण सोलंकियातलां
तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. हरचन्दराम पुत्र नखतराम
2. भोमाराम पुत्र नखतराम
3. रामूराम पुत्र नखतराम
4. उतमाराम पुत्र लाधुराम के कायममुकामान-
   4.1. देवाराम पुत्र उतमाराम
   4.2. डूंगरराम पुत्र उतमाराम
   4.3. सारी पत्नी उतमाराम
   4.4. सन्तुदेवी पुत्री उतमाराम
5. मालाराम पुत्र लाधुराम जाति मेघवाल
   निवासी सोलंकियातला, तहसील शेरगढ
   जिला जोधपुर
6. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार शेरगढ

रेस्पो. ...

29.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी शेरगढ दिनांक 07 फरवरी 2023 राजस्व प्रकरण संख्या 3/2021 अनवान हरचन्द व अन्य बनाम भोमाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

1. श्री सत्तार मेहर, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
2. श्री ओ.पी.बूब, अधिवक्ता-रेस्पो.
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 29 अगस्त, 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 3/2021 हरचन्द व अन्य बनाम भोमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 फरवरी 2023 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 10 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए)(i) के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम सोलंकियातलां स्थित स्वयं की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1489 से ग्राम सोलंकियातलां तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1485/1, 1485/2, 1485/3 तथा 1485 में से होकर रास्ते की मांग की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुए बाद आवश्यक कार्यवाही उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 फरवरी 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

29.8.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 1489 के सभी सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा संख्या 1489 से आवागमन हेतु पूर्व से ही सार्वजनिक रास्ता खसरा संख्या 1489/1, 1489/6 व 1487/7 में से होकर चल रहा है जो मूल खसरा संख्या 1489 के सभी खातेदारान के लिए मध्यबिन्दु में होने से उसका निरन्तर उपयोग-उपभोग किया जा रहा है। अतः वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में किसी नवीन रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिये बिना एवं अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रथम मौका रिपोर्ट पूर्णतया मौके की स्थिति के अनुरूप एवं सही पेश हुई जिसमें बताया गया है कि रेस्पो. को अपनी उक्त भूमि खसरा संख्या 1489 तक आवागमन हेतु भूमि का समर्पणनामा किया जा चुका है। किन्तु द्वितीय रिपोर्ट पक्षकारान को सूचित किये बिना गलत एवं गैरकानूनी बनायी गयी है। मुख्य डामर सडक एवं खसरा संख्या 1489 को जोडने हेतु पूर्व से ही समर्पित भूमि पर ग्रेवल सडक निर्मित है जिसका उपयोग स्वयं प्रार्थीगण एवं अन्य ढाणियों के लोगों द्वारा किया जा रहा है। अतः मुख्य सडक से खसरा संख्या 1489 तक आवागमन हेतु अन्य किसी रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलोच्य अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील स्तर पर अदालत हाजा द्वारा तलब किये जाने पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 31 मार्च 2023 में मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं दर्शाया गया है और खसरा संख्या 1487/1 के संबंध में

29.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभाव में होना अंकित किया गया है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। दिन-ब-दिन जमीकों की कीमतों में वृद्धि के कारण खसरा संख्या 1489 से गांव की आबादी भूमि (स्कूल, अस्पताल, श्मशान भूमि व अन्य जनोपयोगी स्थानों) तक खसरा संख्या 1485/1, 1485/2, 1485/3 तथा 1485 में होकर आवागमन हेतु पुराने रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण अपीलाण्ट्स द्वारा बदनीयतिपूर्वक अवरोधिक कर इन खसरान की भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान किया जा रहा है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1489 से गांव की आबादी भूमि तक आवागमन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश जो रास्ता खसरा संख्या 1485/1, 1485/2, 1485/3 तथा 1485 की भूमि से घोषित किया गया है, वह न्यूनतम दूरी का रास्ता है। इसके अलावा अदालत हाजा के स्तर पर तलब किये जाने पर तहसीलदार शेरगढ द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को मौके पर पटवारी हळका सोलंकिया तलां एवं पटवारी हळका सोमेसर सहित उभय पक्षकारान की उपस्थिति (जिनके हस्ताक्षर उक्त मौका रिपोर्ट पर किये हुए है) में तैयार कर अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट में मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं दर्शाया गया है और खसरा संख्या 1487/1 के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रभाव में होना अंकित किया गया है। मौका रिपोर्ट में अंकित इन तथ्यों का अपीलाण्ट्स द्वारा किसी ठोस आधार पर खण्डन नहीं किया गया है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा

29.9.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07 फरवरी 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.08.2023

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर